HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UKPCB/HO/ Gen-76(W) /Vol-II/ 2071-393, **Date: 31.07.2020**

To,

The Chairman,
Central Pollution Board,
(Ministry of Environment And Forests),
Government of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar
Delhi – 1100032

Sub:- Submission of Annual Report 2019-2020 on Plastic Waste Management Rules, 2016 reg.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, the Annual Report for the year 2019-2020 on Plastic Waste Management Rules, 2016 is enclosed for your kind perusal please.

Enclosures: as above

Yours faithfully
31.7.2020
(S.P. Subudhi)I.F.S.
Member Secretary

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016, AS AMENDED 2018, FOR THE YEAR...

ANNUAL REPORT FORMAT

Name of SPCB/PCC	Estimated Plastic Waste generation. Tons per annum (TPA)	No. of registered Manufacturing/ Recycling(including multilayer, compostable) Units (Rule 9)			No. of unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas.)	Details of Plastic Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing, Road construction . Etc.) (Rules 6) (Attach separate)	Partial/complete ban on usage of Plastic carry bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or Executive Order)	Status of Marketing, Labeling on carry bags (Rule 8) {Specify No. of units not compiled} Complied	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule11)	No. of violations & action taken on non-compliance of provision of these rules.	Number of Municipal Authority or Gram panchayat under jurisdiction and .submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic Units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic Units								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
UKPCB, Dehradun	25,203.038 Ton per annum	33	02	28	-15 - (06 are in approved in industrial area) Notice send via letter dated 07.02.2020 Annexure-1	Attach Annexure-2*	Yes, the copy of order dated 25.01.2017 enclosed Annexure-3	-	-	-	has issued Direction to all District Magistrate for compliance of PWM plan 2016 on dated 25.06.2019 to Director, Urban Development Directorate, All District Magistrate vide letter dated 28.12.2019. Copy enclosed. Annexure-4	Out of 91 ULBs report of 87 ULBs received and out of 7791 Gram Panchayat report of Zero Gram Panchayat received.

* Out of 33 (30 are Plastic recyclers producing Plastic Dana etc. and rest 03 are Plastic Manufacturers.)

Annexure - 1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./ [illegible] दिनांक 7.02.2020

सेवा में,

1. **M/s ILMA Traders-dadupur Govindpur, Bahadrabad, Hadridwar.**
2. **M/s MK Traders & Industry (Formerly MK Industries), Bahadrabad.**
3. **M/s Ramsans Polymers Pvt. Ltd., Raipur Industrial Area, Bhagwanpur Roorkee, Haridwar.**
4. **M/s Shine Star Plastic, Vill- Raipur Industrial Area, P.O. Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar.**
5. **M/s N.D. Enterprises, Shiv Ganga Industrial Estate, Lakeshwari.**
6. **M/s Raghav Metal Recycling Plant, Vill-Sherpur, Roorkee, Haridwar.**
7. **M/s Sai Industries, Sisona Road, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Hardiwar.**
8. **M/s Sai Sanyam Industries, Sector-8B IIE SIDCUL, Haridwar.**
9. **M/s Satya Waste Management Industries, Bahadarpur, Saini Post- Daulatpur, Roorkee, Hardiwar.**
10. **M/s Shree Ram Industries, Dev Bhoomi Industrial Estate, Banatakheri.**
11. **M/s Shri Balaji Sales Corporation, Sikanderpur, Bhainswal.**
12. **M/s Vaishali Enterprises, Vill- Kuahedi, P.O. Gurukul Narsan, Teh-Roorkee, Hardiwar.**
13. **M/s Varai Power Pvt. Ltd., Khasra no. 548/30, Vill- Pili, Town- Bahadrabad.**

विषयः– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न उद्योगों/इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश (ओ0ऐ0 247) में बिना पंजीकरण कराये प्लास्टिक रिसाईक्लरस पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। आप की इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 29.02.2020** तक अपने पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की में जमा करें अन्यथा बोर्ड द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने को बाध्य होगा जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायी स्वयं इकाई होगी।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपिः– 1. सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प भवन, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित् कि जिन इकाईयों द्वारा आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना चाहें।

पर्यावरण अभियन्ता

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./ 1112-76 (PWM)/ 10734-1739,

दिनांक: 7.02.2020

सेवा में,

1. M/s Trikuta Enterprises,
IDEB Industries, Estate Mahukheraganj.
(U.S. Nagar)

2. M/s Rathore Langhu Udhyog,
Khata no. 08, Khasra no. 944/2, Vill- Nankmata.
(U.S. Nagar)

3. M/s MH Plastic Industries,
Khasra no. 401, Vill- Basi Islamnagar,
Hariyawal. (U.S. Nagar)

विषयः– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न उद्योगों/इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश (ओ0ऐ0 247) में बिना पंजीकरण कराये प्लास्टिक रिसाईक्लरस पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। आप की इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 29.02.2020** तक अपने पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर में जमा करें अन्यथा बोर्ड द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने को बाध्य होगा जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायी स्वयं इकाई होगी।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपिः–
1. सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्पलैक्स, रामनगर रोड़, काशीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित् कि जिन इकाईयों द्वारा आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना चाहें।

पर्यावरण अभियन्ता

Annexure-1

Details of Plastic Waste Management (PWM)

1. Use of RDF in cement industry is being explored. Already Nagar Panchayat, Augustmuni is sending 6MT of RDF/Plastic to cement industry with the support of NEPRA at an interval of every 15 days.

2. From SWM Plant at Shishambara, the above firm is disposing 10-15 MT of RDF every day and as per quality of RDF the firm has assured to transfer 50-60 MT per day. Till date 53.52 MT has been lifted by two firms (Green Planet Waste Management Pvt. Ltd. and Nepra Environmental Solutions Pvt. Ltd.).

3. From SWM Plant, Haridwar till date about 200 MT of RDF has been disposed through a private vendor, who is using RDF in Cement Plant in Rajsathan.

4. 10 MTPD plastic processing plant/ "Plastic Fuel" is being proposed in Haridwar.

5. 02 Megawatt "Waste to Energy" plant is proposed at Roorkee to utilize the RDF.

6. Use of plastic in road construction, initiated in 03 ULBs.

Annexure-3

संलग्नक-1

संख्या- 88 /X-3-17-13(11)/2001

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकरी, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक:- 25 जनवरी, 2017

विषय:- **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट पिटिशन संख्या-140/2015 ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition (PIL) संख्या 140/2015 श्री ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

It is further directed that there shall be a total ban of sale, use and storage of plastic carry bags throughout the State of Uttarakhand w.e.f. 01.01.2017. No person shall be permitted to bring carry bags in the State of Uttarakhand by any means of transport, including the bus, trains and air. The State Governemnt shall launch a special campaign to make the people aware to use paper or jute bags to save the environment.

2- उक्त के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-48/X-3-17-13(11)/2001, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

1. सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के Plastic/Thermacol से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. किसी भी व्यक्ति/यात्री को उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक/पॉलीथिन कैरी बैग्स/थैली किसी भी परिवहन यथा-बस, रेल, हवाई आदि माध्यम से लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
3. इस संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थल, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमां, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों में विज्ञप्ति (प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया) द्वारा, लाउड स्पीकर्स/नुक्कड़ नाटकों/नाटकों आदि द्वारा आम जनता को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
4. उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित से रू0 5000/- का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।
5. उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सक्षम अधिकारी नामित किये जाते हैं:
   - सम्बन्धित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट

- सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/ई0ओ नगर पालिका
- पुलिस विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के एस0एच0ओ0, सी0ओ0, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- वन विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के वनक्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी
- सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

6. सम्बन्धित रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डो में मा0 उच्च न्यायलय के आदेशों का अनुपालन रेलवे विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, नागरिक उड्यन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार।
8. महाप्रबन्धक, नार्थन रेलवे (उत्तरी क्षेत्र), रेलवे विभाग।
9. महाप्रबन्धक, नार्थ ईस्टन, रेलवे विभाग।
10. महानिदेशक, सिविल एवियेशन, भारत सरकार।
11. एयरपोर्ट मैनेजर, जोली ग्राण्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

0/c

Head Office
UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION AND POLLUTION CONTROL BOARD
, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Phone: 0135-2658086, Fax: 0135-2718092 Web: www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक सं0–यूईपीपीसीबी / एच.ओ / सा0–453 / 2019 / 2335–534, दिनांक :–25 06.2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून / टिहरी / पौड़ी / चमोली /
रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार / उधमसिंहनगर /
नैनीताल / चम्पावत / बागेश्वर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ।

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 के कम में Producers, Importer and Brand Owners की जिम्मेदारी निर्धारण करते हुये उनके उत्पादों के माध्यम से जनित प्लास्टिक वेस्ट का एकत्रिकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने हेतु प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 प्रख्यापित किया गया है।

उक्त नियम की धारा–2 (1) के अनुसार :–These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, importers and producer. उक्त नियम की धारा–9 में Responsibility of Producers, Importer and Brand Owners के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही किया जाना प्राविधानित किया गया है :

(1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individualy or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be sutmitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multi-layered packaging from packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के कियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है, कि :–

1. वर्तमान में कोई भी Producers, Importer and Brand Owners द्वारा राज्य बोर्ड के समक्ष ऐसा Plan of Action प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके उत्पाद द्वारा राज्य कुल कितना प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जा रहा है एवं नियमानुसार कितना प्लास्टिक वेस्ट किन–किन माध्यमों से एकत्रिकरण कर वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है।
2. Producers, Importer and Brand Owners द्वारा न तो राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है, न ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया है। बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना राज्य में उत्पादों के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जाना एवं उनका एकत्रिकरण कर निस्तारण न किया जाना नियम विरूद्ध है।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट की धारा–12 में यह प्रावधान किया गया है, कि Prescribed authority – (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multi-layered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 की धारा–9 में प्राविधानित नियमों के आधार पर कार्यवाही नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

आपसे अनुरोध है, कि अपने–अपने जनपद में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन) आई.ए.एस.
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. सदस्य सचिव, यू0ई0पी0पी0सी0बी0, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि समस्त जिलाधिकारियों से समन्वय कर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 का अनुपालन राज्य में कराया जाना सुनिश्चित् करें।

अध्यक्ष, 24/06/19
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure - 4

संलग्नक

संख्या- 88 /X-3-17-13(11)/2001

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक:- 25 जनवरी, 2017

विषय:- <u>माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट पिटिशन संख्या-140/2015 ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition (PIL) संख्या 140/2015 श्री ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

It is further directed that there shall be a total ban of sale, use and storage of plastic carry bags throughout the State of Uttarakhand w.e.f. 01.01.2017. No person shall be permitted to bring carry bags in the State of Uttarakhand by any means of transport, including the bus, trains and air. The State Governemnt shall launch a special campaign to make the people aware to use paper or jute bags to save the environment.

2- उक्त के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-48/X-3-17-13(11)/2001, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

1. सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के Plastic/Thermacol से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा।
2. किसी भी व्यक्ति/यात्री को उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक/पॉलीथिन कैरी बैग्स/थैली किसी भी परिवहन यथा-बस, रेल, हवाई आदि माध्यम से लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
3. इस संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थल, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों में विज्ञप्ति (प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया) द्वारा, लाउड स्पीकर्स/नुक्कड़ बैठकों/नाटकों आदि द्वारा आम जनता को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
4. उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित से रू0 5000/- का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।
5. उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सक्षम अधिकारी नामित किये जाते हैं:
   - सम्बन्धित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट

- सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/ई0ओ नगर पालिका
- पुलिस विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के एस0एच0ओ0, सी0ओ0, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- वन विभाग के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के वनक्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी
- सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी/उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

6. सम्बन्धित रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डो में मा0 उच्च न्यायलय के आदेशों का अनुपालन रेलवे विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, नागरिक उड्यन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार।
8. महाप्रबन्धक, नार्थन रेलवे (उत्तरी क्षेत्र), रेलवे विभाग।
9. महाप्रबन्धक, नार्थ ईस्टन, रेलवे विभाग।
10. महानिदेशक, सिविल एवियेशन, भारत सरकार।
11. एयरपोर्ट मैनेजर, जोली ग्राण्ट एयरपोर्ट, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

0/c

Annexure-4

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति (SLAB) की द्वितीय बैठक, दिनांक 04 जुलाई 2018 का कार्यवृत्त।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 के अंतर्गत सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 04–07–2018 को आहुत की गई। सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर समिति के सदस्य पदेन, श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एच0एस0 सेमवाल, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री रामविलास, अपर सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री बी0एस0 नेगी0 डेप्युटी रेवेन्यु कमिशनर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु, उत्तराखण्ड।
5. श्री एस0एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. डा0 आर0के0 सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री एस0सी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्रीमति गीता खुल्बे, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री उमेश चन्द्र राय, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री मेराजुद्दीन अहमद, तकनीकी विशेषज्ञ, GIZ उत्तराखण्ड।
11. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, एस0बी0एम0, नगरीय, उत्तराखण्ड।
13. श्री अविनाश पी0 सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेस्ट वॉरिअर।
14. श्री नरेन्द्र कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, कंण्ट बोर्ड देहरादून।
15. श्री आर0पी0 चमोली, स्वच्छता निरीक्षक, कैण्ट बोर्ड, क्लेमन्टॉउन, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा सभी सम्मानित उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने सदन को "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक (14 मई 2018) में लिए गए निर्णयों के सापेक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। तद्क्रम में "राज्य सलाहकार समिति" की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इस दैरान की गई चर्चा में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016" के नियम 15 (c) के अनुपालन के क्रम में यह निर्देशित किया गया कि पाईलट के तौर पर नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कूड़ा बीनने वालों (Rag Pickers/Informal Waste Collectors) को औपचारिक तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में भागीदार बनाने हेतु रैग पिकर्स (अनुमानित संख्या 250) को पंजीकृत कर उनके लिए पहचान पत्र बनाए जाने तथा उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराई जाऐगी। तथा इन पंजीकृत रैग पिकर्स को जैविक तथा अजैविक एवं अजैविक कूड़े के प्रकारों के बारे में जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसका व्यय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। पहचान पत्र का डिजाईन तथा ड्रेस के कलर कोड (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

NN

Annexure-4

HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
"Gaura Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/ Gen. 76 (31) Vol-III/ 147 Date: 28.12.2019

To,

Director,
Urban Development Directorate,
31/62, Rajpur Road, Dehradun,
Uttrakhand.

Direction under Section 5 of Environment Protection Act, 1986.

WHEREAS, Central Government has made the Plastic Waste Management Rules, 2016 to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system.

WHEREAS, Hon'ble NGT vides its order dated 20.07.2019 in matter of O.A. no. 247/2017 directed:-

1. UDDs ensure setting up of Collection, source segregation of disposal system for plastic waste.
2. SPCBs/PCCs, UDDs shall ensure to promote compostable carry bags certified by CPCB.
3. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibited litter of plastic waste at historical, religious, public places and dumping of Plastic waste on drains, river banks & sea beahes is prohibited.
4. SPCBs/PCCs and UDDs to prohibit ensure open burning of plastic waste.
5. SPCBs/PCCs and Municipalities should constitute squad to check illegal manufacturing, stocking, sale of <50 microns thickness plastic carry bags and uncertified compostable carry bags/ products in the market.

WHEREAS, Uttrakhand Environment Protection and Pollution Control Board written letter to UDD to compliances of above direction via letter no. UEPPCB/HO/5303/1064 dated 28.09.2018.

WHEREAS, No report submitted by UDD to UEPPCB in compliance to NGT order dated 2.07.2019 in matter of O.A. no. 247/2017.

WHEREAS, Hon'ble NGT vide its order dated 06.12.2019 in matter of O.A. 247/2019 directed:-

1. SPCBs/PCCs should direct to UDDs to ensure setting-up of collection, source segregation & disposal system for plastic waste.
2. SPCBs/PCCs shall provide the details such as quantification, characterization & disposal methods of plastic waste. The details of disposed plastic waste should be provided to CPCB.
3. SPCBs/PCCs, UDDs shall ensure to promote compostable carry bags certified by CPCB.

4. SPCBs/PCCs and Municipalities should constitute squad to check illegal manufacturi stocking sale of <50microns thickness plastic carry bags and uncertified compostabi carry bags/ products in the market.
5. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibit litter of plastic waste at historical, religious, public places and dumping of plastic waste on drains, river, banks & sea beaches is prohibited.
6. SPCBs/PCCs and UDDs to prohibit ensure open burning of plastic waste.
7. States/UTs should frame a time targeted action plan covering the action points related to plastic waste segregation, collection and recycling/reuse of plastic waste.
8. Number of ULBs which have set-up of plastic waste management system as per rule 6(ii) (Including collection, segregation, and channelization & processing of plastic waste).
9. Number of ULBs having facilities for Collection of Segregated waste.
10. Number of ULBs having Material Recovery facility.
11. Status of Utilization of plastic waste (Annual Report form VI pt.4).
12. Quantity of Plastic waste utilized in recycling (TPD).
13. Quantity of plastic waste utilized in recycling road construction.
14. Quantity of plastic waste used in other purpose (please specify).
15. The States/UTs may submit their compliance reports to CPCB quarterly in a cumulative format failing which compensation of Rs. 1 lakh per quarter shall be levied by the CPCB.

And now there; In view of the above observations and exercising powers conferred in **section 5 of Environment Protection Act, 1986** the following direction issued to Urban Development Directorate:

1. To provide Action Taken Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 02.07.2019 and 06.12.2019 in the matter of O.A. no. 247/2019.
2. To ensure proper management of plastic waste in accordance with the provision of PWM Rules, 2018.
3. To submit Action Taken Report to the Board annually as mentioned in rule-17 of PWM Rules, 2016 by the 30th April.

Receipt of these direction shall be acknowledged immediately and action taken on the above direction to be communicated to UEPPCB with in 30 days of recipt of these direction.

This issued with the approval of competent authority.

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to: - Secretary, Urban Development Department, Uttrakhand Government, Dehradun for kind information pleases.

Member Secretary

HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

"Gaura Devi Prayavaran Bhawan"

46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/Gen-76-Vol-III/148 Date: 28.12.2019

To,

District Magistrate,
Dehradun, Haridwar, Pauri Gharwal, Uttarkashi,
Chamoli, Rudrapryag, Tehri Gharwal, Nainital,
Pithoragarh, Champawat, Bageshwar, Udham Singh Nagar,
Almora, State- Uttrakhand.

Sub: - Direction under Section 5 of Environment Protection Act, 1986.

Sir,

WHEREAS, Central Government has made the Plastic Waste Management Rules, 2016 to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system.

WHEREAS, Hon'ble NGT vide its order dated 06.12.2019 in matter of O.A. 247/2019 directed:-

1. SPCBs/PCCs should also ensure that no unregistered plastic manufacturing/recycling units is in operation & no unit is running nonconforming/residential areas. Besieds, it is also to be ensured that plastic carry bags/films <50 microns thickness should not be manufactured, stocked, sold and used in cities/ towns.
2. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibit ensure open burning of plastic waste.
3. Number of unregistered plastic manufacturing/recycling unit in State.

And now there; In view of the above observations and exercising powers conferred in **section 5 of Environment Protection Act, 1986** the following direction issued:-

1. To identify and report to the Board about unregistered manufacturing/recycling unit in your jurisdiction to ensure that they do not operate without obtaining consent under Air and Water Act and registration under PWM rules, 2016 from UEPCCB.
2. To ensure that plastic bags/films < 50 Microns thickness should not be manufactured, stocked, sold and use in your jurisdiction.
3. To ensure proper management of plastic waste in accordance with the provision of PWM Rules, 2016.

Receipt of these direction shall be acknowledged immediately and action taken on the above direction to be communicated to UEPPCB with in 30 days of recipt of these direction.

This issued with the approval of competent authority.

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to: - Secretary, Urban Development Department, Uttrakhand Government, Dehradun for kind information pleases.

Member Secretary